परिपत्र सं. 112/31/2019-जीएसटी

मिसिल सं. सीबीईसी- 20/06/03/2019-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

(जीएसटी पॉलिसी विंग)

****

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर, 2019

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/
आयुक्त केन्द्रीय कर (सभी)
प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदय/महोदया,

विषय: परिपत्र सं. 105/24/2019-जीएसटी दिनांक 28.06.2019-को वापस लेने के संदर्भ में।

कृपया परिपत्र सं.105/24/2019-जीएसटी दिनांक 28.06.2019 पर ध्यान दें, जहां जीएसटी के तहत द्‌वितीय या बिक्री के बाद छूट के व्यवहार संबंधी विविध संदेहों के संदर्भ में कुछ निश्चित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

2. उक्त परिपत्र के निर्देशों पर कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। इन आशंकाओं को देखते हुए और क्षेत्रीय संरचनाओं में कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड केंद्रीय वस्तु और सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 168(1) का प्रयोग करते हुए आरंभ से, परिपत्र सं. 105/24/2019-जीएसटी, दिनांक 28.06.2019 को वापस लेता है।

3. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषयवस्तु का प्रचार करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किया जा सकता है।

(योगेन्द्र गर्ग)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)